न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

प्रार्थना–पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
31 / 24	88,89,53,188 RTA	बराना	बारां

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
कुलदीप	बनाम	महेन्द्र प्रताप वगै0

वकील :– श्री हेमराज बैरवा एड0 | **आदेश पत्रक** | वकील:–

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
15.04.2024	अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,53,188 आर.टी. एक्ट विरूद्व प्रतिवादी के न्याया0 में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 07.06.2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
7-6-24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी क्र. 1, 2, 4 की ओर से इकबाली बयान एवं [illegible] पेश हुआ। श्री चन्द्रप्रकाश मीना का वकालतनामा पेश हुआ। जरिये वादी क्र. 3 के सम्मन की तामील [illegible] के उपरान्त भी [illegible] कानूनन [illegible] के न्याया. [illegible] एक तरफा कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 18-7-24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
18.7.24	पत्रावली पेश हुई। वकालतनामा फरीकेन उपस्थित। वादी उपस्थित। साक्ष्य वादी में कुलदीप के बयान करवाये। जरिये वकील वादी और साक्ष्य पेश करना नहीं चाहते। साक्ष्य वादी बन्द की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 24-7-24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
24-7-24	पीठासीन अधिकारी [illegible] में रहने से पूर्ववत दिनांक 19-9-24 को प्रस्तुत हो। (हस्ताक्षर) रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां	
19-9-24	पीठासीन अधिकारी [illegible] में रहने से पूर्ववत दिनांक 7-11-24 को प्रस्तुत हो। (हस्ताक्षर) रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां	
07/11/24	पत्रावली पेश हुई। उपस्थित [illegible] के वकील उप.। बहस [illegible] सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 22/11/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

	कार्यवाही एवं आदेश					विविध संदर्भ
2	नाम खातेदार	ख०नं०	रकबा	किस्म	लगान	हिस्सा
	महेन्द्र प्रताप पुत्र प्रहलाद जाति मीणा निवासी बराना	303	5.97	माल 1	89.55	[illegible]
	किता	1	5.97	माल 1	89.55	[illegible]

उपरोक्त विवादित आराजी का तहसीलदार बारां के प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर वादी एवं प्रतिवादी द्वारा हस्ताक्षर कर सहमति व्यक्त की है तथा वकील वादी द्वारा हस्ताक्षर कर विभाजन प्रस्ताव पर सहमति प्रकट की है। वकील प्रतिवादी उप० नहीं। परन्तु प्रतिवादी स्वयं के विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर सहमति दी गई है। वादी व प्रतिवादी के विभाजन प्रस्ताव पर सहमति अनुसार पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद करने हेतु तहसीलदार, बारां को आदेशित किया जाता है। तदनुसार अन्तिम डिक्री पत्र जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील के दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बारां

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

अन्तिम डिक्री

केस संख्या 31/24	धारा अन्तर्गत 88,89,53,188 आर टी एक्ट	अन्तिम निर्णय दिनांक : 13/01/2025
समक्ष : श्री अभिमन्यु सिंह कुन्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादी:– श्री हेमराज बैरवा एड0	अभिभाषक प्रतिवादी:– श्री चन्द्रप्रकाश मीना एड0 – 1,2 व 4	

वाद शीर्षक

उनवान

1. कुलदीप आयु 30 वर्ष पुत्र श्री महेन्द्र प्रताप जाति मीना निवासी ग्राम बराना तहसील बांरा जिला बारां राज0

वादीगण–

बनाम

1. महेन्द्र प्रताप आयु 60 वर्ष पुत्र श्री प्रहलाद जाति मीना निवासी ग्राम बराना तहसील बारां जिला बारां राज0
2. प्रितम कुमारी आयु 36 वर्ष पुत्री श्री महेन्द्र प्रताप पत्नी स्व0 श्री नरेन्द्र जाति मीना निवासी ग्राम बराना तहसील बारां जिला बारां राज0
3. रितू कुमारी आयु 34 वर्ष पुत्री श्री महेन्द्र प्रताप पत्नी श्री आशीष कुमार जाति मीना निवासी ग्राम बराना तहसील बारां हॉल निवासी शिव कॉलोनी हॉस्पीटल रोड बारां तहसील बारां जिला बारां राज0
4. अन्तिमा कुमारी आयु 31 वर्ष पुत्री श्री महेन्द्र प्रताप पत्नी श्री दीपक जाति मीना निवासी ग्राम बराना तहसील बारां हाल निवासी बालाकुण्ड मकान नं0 केशवपुरा चौराहा कोटा जिला कोटा राज0
5. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

प्रतिवादी गण–

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि:–

प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार विवादित आराजी वाके ग्राम बराना तहसील बारां जिला बारां आराजी खसरा नं0 303 की रकबा 11.94 हे0 में से वादी एवं प्रतिवादी क्रम–1 का 1/2, 1/2 हिस्सा, भूमि का पक्षकारान के मध्य पृथक–पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है :–

क्र.सं.	पक्षकार	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान	दिशा
1.	वादीगण	कुलदीप पुत्र महेन्द्र प्रताप जाति मीणा निवासी बराना	303	5.97	माल 1	89.55	उत्तरी
		किता	1	5.97		89.55	
2.	प्रतिवादी	महेन्द्र प्रताप पुत्र प्रहलाद जाति मीणा निवासी बराना	303	5.97	माल 1	89.55	दक्षिणी
		किता	1	5.97		89.55	

उपरोक्तानुसार विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पृथक पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 13/01/2025 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला बारां

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज ( )		
10.	योग		

निर्णय व इजलास श्री अभिमन्यु सिंह कुन्तल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 31/24
दायरा दिनांक :– 15.04.2024
निर्णय दिनांक :– 06/12/24

उनवान

1. कुलदीप आयु 30 वर्ष पुत्र श्री महेन्द्र प्रताप जाति मीना निवासी ग्राम बराना तहसील बांरा जिला बारां राज0 मो0 नं0 8690007622

वादीगण–

बनाम

1. महेन्द्र प्रताप आयु 60 वर्ष पुत्र श्री प्रहलाद जाति मीना निवासी ग्राम बराना तहसील बारां जिला बारां राज0
2. प्रितम कुमारी आयु 36 वर्ष पुत्री श्री महेन्द्र प्रताप पत्नी स्व0 श्री नरेन्द्र जाति मीना निवासी ग्राम बराना तहसील बारां जिला बारां राज0
3. रितू कुमारी आयु 34 वर्ष पुत्री श्री महेन्द्र प्रताप पत्नी श्री आशीष कुमार जाति मीना निवासी ग्राम बराना तहसील बारां हॉल निवासी शिव कॉलोनी हॉस्पीटल रोड बारां तहसील बारां जिला बारां राज0
4. अन्तिमा कुमारी आयु 31 वर्ष पुत्री श्री महेन्द्र प्रताप पत्नी श्री दीपक जाति मीना निवासी ग्राम बराना तहसील बारां हाल निवासी बालाकुण्ड मकान नं0 केशवपुरा चौराहा कोटा जिला कोटा राज0
5. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

प्रतिवादी गण–

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,53, 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक :– 06/12/2024

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री हेमराज बैरवा एड़0 – वादीगण
2. श्री चन्द्रप्रकाश मीना प्रति–1,2 व 4

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 188 आर.टी. एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया, कि ग्राम बराना तहसील बारां जिला बारां राजस्थान में वादी व प्रतिवादी क्रमांक 2 ता 4 के पिता एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 के खातेदारी की आराजी वर्तमान खाता संख्या 159 पुराना 155 की खसरा नं0 303 की रकबा 11.940 हे0 किस्म माल प्रथम लगानी 179.1000 रुपया कुल किता 1 रकबा 11.940 हे0 कुल लगानी 179.1000 रुपया स्थित है जो राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी क्रमांक 2 ता 4 के पिता एवं प्रतिवादी नं0 1 महेन्द्र प्रताप पुत्र श्री प्रहलाद जाति मीना निवासी बराना तहसील बारां के नाम राजस्व रिकार्ड में सं0 2071–2074 में दर्ज है। उक्त आराजियात पुश्तैनी व पैत्रिक सम्पति है जिसकी पुष्टि जमाबन्दी सं0 2023 से 2026 से होती है, जो बखाता छीतरलाल पुत्र श्री

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

थ जाति मीना वासगांव राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसे वाद पत्र में आगे विवादित जियात के नाम से सम्बोधित किया गया है।

प्रतिवादी क्रमांक 1 को वाद पत्र में अंकित आराजियात अपने दादाजी श्री तरलाल जी से विरासतन प्राप्त हुई थी। प्रतिवादी क्रम 1 वादी व प्रतिवादी 2 ता 4 के पिता । किन्तु वादी व प्रतिवादीगण अनुसुचित जनजाति के सदस्य है जिन पर हिन्दु उत्तराणिकारी अधिनियम 1955 लागू नही होता है इसलिये उक्त विवादित आराजियात में प्रतिवादी क्रम 2 ता 4 का कोई हक व हिस्सा निहित नही है। क्योकि अनुसुचित जनजाति के विवाहित लडकियों का अपने पिता की भुमि में कोई हक व हिस्सा लेने का हक व अधिकार नही है। इसलिये उक्त विवादित आराजियात में वादी व प्रतिवादी क्रम 1 का 1/2, 1/2 हिस्सा है तथा वादी के पिता प्रतिवादी क्रम 1 वृद्ध हो चुके है एवं वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 उक्त आराजियात पर प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा किये गये मौखिक बंटवारे के हिसाब से काश्तकारी कार्य पृथक पृथक रुप से करते चले आ रहै है तथा अभी वर्तमान में भी वादी व प्रतिवादी क्रमांक 1 के नाम खाता होने से आराजियात के भू–सुधार में अनावश्यक परेशानी होती है आराजियात का बंटवारा न होने से हिस्सा निश्चित नही है। इस कारण उसमें भू–सुधार नही किया जा सकता आराजियात के सही उपयोग एवं सही काश्त व्यवस्था के लिये अपने हिस्से का भू–सुधार किया जाना उसमें खाद बीज सिंचाई आदि की व्यवस्था किया जाना तथा आधुनिक कृषि किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी क्रमांक 1 के नाम खाता रहने से किसी भी पक्षकार ारा आराजी को रहन बेचान करने मे असुविधा रहती है। तथा खाता प्रतिवादी नं0 1 के नाम रहने से यह आशंका बनी रहती है। कि प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के मन में कभी भी बदनियती आ सकती है क्योकि उक्त विवादित आराजियात प्रतिवादी क्रम 1 के खातेदारी में दर्ज है जिसको प्रतिवादी क्रम 1 प्रतिवादी 1 ता 4 के बहकावें में आकर उक्त विवादित आराजियात को बिना विभाजन के रहन बेचान करके दुसरे पक्ष को परेशानी में डाल सकते है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी क्रमांक 1 के नाम खाता रखा जाना सम्भंव नही है। क्योकि प्रतिवादी क्रमांक 1 पिता महेन्द्र प्रताप अपने खातेदारी में दर्ज होने का गलत तरीके से फायदा उठाकर भूमि को रहन बेचान या अन्य प्रकार से मुन्तकिल कर वादी के हक हकूको मे नुकसान पहुचा सकते है। इस बाबत दिनांक 06.04.2024 को प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा वादी को खुली चुनौती दी गई है तथा धमकी दी गई है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 अपने खातेदारी की आराजियात को रहन बेचान करके रहेगें। ताकि वादी को कोई हिस्सा प्राप्त नही हो ऐसी स्थिति में वादी को अपने कानूनी हकूकों से वचिंत हो जाने की पूरी पूरी आशंका उत्पन्न हो गई है। साथ ही हिस्से आराजियात की काश्त व उपयोग में भी बाधा पहुचेगी। अतः वादी अपने पिता प्रतिवादी क्रम 1 के खातेदारी की आराजियात में अपने हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराकर अपना हिस्सा अलग से निश्चित कराकर उसी अनुसार बंटवारा कराने व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकने का अधिकारी एवं नालिशी है।

वादी व प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 अनुसुचित जनजाति के सदस्य है इसलिये अनुसुचित जनजाति में पुत्रीयॉ अपने पिता व दादाजी की पैत्रिक आराजियात सम्पति में कोई हक व हिस्सा नही होने से आराजी वर्तमान खाता संख्या 159 पुराना 155 की खसरा नं0 303 की रकबा 11.940 हे0 किस्म माल प्रथम लगानी 179.1000 रुपया कुल 1 किता रकबा 11.940 हे0 कुल लगानी 179.1000 रुपया में प्रतिवादी क्रमांक 1 पिता महेन्द्र प्रताप का पुत्र होने के नाते व उक्त आराजी पैत्रिक आराजी होने से वादी का 1/2 हिस्सा में पृथक खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराकर पृथक से खातेदार कृषक घोषित करवाने व अपने हक व हिस्से का वादी बंटवारा करा पा सकने व राजस्व रिकार्ड में पृथक से अमल दरामद कराने तथा स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकने का अधिकारी व नालिशी है। वादी ने दिनांक 06.04.2024 को प्रतिवादी क्रमांक 1 ता 4 से आपसी सहमति से आराजियात का बंटवारा करने व वादी का हिस्सा अलग करने को कहा तो वे इन्कार हो गये तथा धमकी दी कि वे वादी को प्रतिवादी क्रमांक 1 अपने खातेदारी में प्राप्त

उपखण्ड अधिकारी
बारॉ

आराजी पर काश्त नही करने देगें तथा उसे रहन बेचान कर मुंतकिल कर देगा। उसमें से को कोई भी हिस्सा प्राप्त नही करने देगें। अतः वाद कारण दिनांक 06.04.2024 को अंतिम बमुकाम–बराना तहसील बारां में उत्पन्न हुआ।

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में बहक प्रतिवादी क्रम ता 4 इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर फरमायी जावें कि 2 ता 4 अनुसुचित जनजाति की विवाहित महिला होने से उक्त आराजियात में प्रतिवादी क्रम 2 ता 4 को कोई हक व हिस्सा नही होने से आराजी वर्तमान खाता संख्या 159 पुराना 155 की खसरा नं0 303 की रकबा 11.940 हे0 किस्म माल प्रथम लगानी 179.1000 रुपया कुल 1 किता रकबा 11.940 हे0 कुल लगानी 179.1000 रुपया में वादी को 1/2 हिस्सा आराजी का खातेदार घोषित किया जाकर इसी प्रकार आराजियात का बंटवारा किया जावें वादी का हिस्सा अलग से निश्चित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अलग से इन्द्राज किया जावें तथा वादी के हक में खिलाफ प्रतिवादी क्रमांक 1 आदेशात्मक एवं निषेधाज्ञा इस आशय की पारित की जावें कि प्रतिवादी क्रमांक 1 बिना बंटवारे के व बिना हिस्सा तय किये आराजियात का रहन बेचान या अन्य प्रकार से उसें मुतंकिल न करें तथा वादी के वैधानिक हिस्से में कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी ना तो स्वयं करे ना अन्य से करावें। तथा वादी को प्रतिवादी क्रम 1 के खाते की आराजियात के 1/2 हिस्सा आराजी काश्त व उपयोग करने दें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी क्रम 1,2 व 4 की ओर से श्री चन्द्रमोहन प्रकाश मीणा का वकालत नामा पेश हुआ। प्रतिवादीगण 1,2 व 4 की ओर से इकबालिया जवाब पेश किया गया। प्रतिवादी क्रम 3 के विरुद्व एक तरफा कार्यवाही की गई। वादीगण ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी वाके ग्राम बराना सम्वत 2071–2074 खाता संख्या नया 159 पुराना 155, खसरा नं0 303, मिलान क्षेत्रफल ग्राम बराना सम्वत 2038–2057, जमाबन्दी ग्राम बराना सम्वत 2023–2026, नकल नोटिस 80 सीपीसी, पेश किया गया। साक्ष्य वादी मे कुलदीप पुत्र श्री महेन्द्र प्रताप जाति मीना का शपथ–पत्र पेश किया गया।

अभिभाषक वादी द्वारा बहस की गई। बहस मे वकील वादी द्वारा बताया कि ग्राम बराना तहसील बारां जिला बारां राजस्थान में वादी व प्रतिवादी क्रमांक 2 ता 4 के पिता एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 के खातेदारी की आराजी वर्तमान खाता संख्या 159 पुराना 155 की खसरा नं0 303 की रकबा 11.940 हे0 किस्म माल प्रथम स्थित है जो राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी क्रमांक 2 ता 4 के पिता एवं प्रतिवादी नं0 1 महेन्द्र प्रताप पुत्र श्री प्रहलाद जाति मीना निवासी बराना तहसील बारां के नाम राजस्व रिकार्ड में सं0 2071–2074 में दर्ज है। उक्त आराजियात पुश्तैनी व पैत्रिक सम्पति है जिसकी पुष्टि जमाबन्दी सं0 2023 से 2026 से होती है, जो बखाता छीतरलाल पुत्र श्री बेजनाथ जाति मीना वासगांव राजस्व रिकार्ड में दर्ज है प्रतिवादी क्रमांक 1 को वाद पत्र में अंकित आराजियात अपने दादाजी श्री छीतरलाल जी से विरासतन प्राप्त हुई थी। प्रतिवादी क्रम 1 वादी व प्रतिवादी 2 ता 4 के पिता है। किन्तु वादी व प्रतिवादीगण अनुसुचित जनजाति के सदस्य है जिन पर हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1955 लागू नही होता है इसलिये उक्त विवादित आराजियात में प्रतिवादी क्रम 2 ता 4 का कोई हक व हिस्सा निहित नही है। क्योकि अनुसुचित जनजाति के विवाहित लडकियों का अपने पिता की भुमि में कोई हक व हिस्सा लेने का हक व अधिकार नही है। इसलिये उक्त विवादित आराजियात में वादी व प्रतिवादी क्रम 1 का 1/2, 1/2 हिस्सा है तथा वादी के पिता प्रतिवादी क्रम 1 वृद्ध हो चुके है एवं वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 उक्त आराजियात पर प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा किये गये मौखिक बंटवारे के हिसाब से काश्तकारी कार्य पृथक पृथक रुप से करते चले आ रहै है तथा अभी वर्तमान में भी वादी व प्रतिवादी क्रमांक 1 के नाम खाता होने से आराजियात के भू–सुधार

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

ावश्यक परेशानी होती है आराजियात का बंटवारा न होने से हिस्सा निश्चित नही है। इस
ा उसमें भू–सुधार नही किया जा सकता आराजियात के सही उपयोग एवं सही काश्त
स्था के लिये अपने हिस्से का भू–सुधार किया जाना उसमें खाद बीज सिंचाई आदि की
वस्था किया जाना तथा आधुनिक कृषि किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी क्रमांक 1 के नाम
ाता रहने से किसी भी पक्षकारान आराजी को रहन बेचान करने मे असुविधा रहती है। तथा
खाता प्रतिवादी नं0 1 के नाम रहने से यह आशंका बनी रहती है। कि प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के
मन में कभी भी बदनियती आ सकती है क्योकि उक्त विवादित आराजियात प्रतिवादी क्रम 1 के
खातेदारी में दर्ज है जिसको प्रतिवादी क्रम 1 प्रतिवादी 1 ता 4 के बहकावें में आकर उक्त
विवादित आराजियात को बिना विभाजन के रहन बेचान करके दुसरे पक्ष को परेशानी में डाल
सकते है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी क्रमांक 1 के नाम खाता रखा जाना सम्भव नही है। क्योकि
प्रतिवादी क्रमांक 1 पिता महेन्द्र प्रताप अपने खातेदारी में दर्ज होने का गलत तरीके से फायदा
उठाकर भूमि को रहन बेचान या अन्य प्रकार से मुन्तकिल कर वादी के हक हकूको मे नुकसान
पहुचा सकते है। अतः वादी अपने पिता प्रतिवादी क्रम 1 के खातेदारी की आराजियात में अपने
हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराकर अपना हिस्सा अलग से निश्चित कराकर उसी
अनुसार बंटवारा कराने व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकने का अधिकारी एवं नालिशी है।

वादी व प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 अनुसुचित जनजाति के सदस्य है इसलिये
अनुसुचित जनजाति में पुत्रीयॉ अपने पिता व दादाजी की पैत्रिक आराजियात सम्पति में कोई हक
व हिस्सा नही होने से आराजी वर्तमान खाता संख्या 159 पुराना 155 की खसरा नं0 303 की
रकबा 11.940 हे0 किस्म माल प्रथम में प्रतिवादी क्रमांक 1 पिता महेन्द्र प्रताप का पुत्र होने के
नाते व उक्त आराजी पैत्रिक आराजी होने से वादी का 1/2 हिस्सा में पृथक खातेदारी अधिकारों
की घोषणा कराकर पृथक से खातेदार कृषक घोषित करवाने व अपने हक व हिस्से का वादी
बंटवारा करा पा सकने व राजस्व रिकार्ड में पृथक से अमल दरामद कराने तथा स्थायी निषेधाज्ञा
प्राप्त कर सकने का अधिकारी व नालिशी है। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष
में बहक प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर फरमायी जावें
कि 2 ता 4 अनुसुचित जनजाति की विवाहित महिला होने से उक्त आराजियात में प्रतिवादी क्रम
2 ता 4 को कोई हक व हिस्सा नही होने से आराजी वर्तमान खाता संख्या 159 पुराना 155 की
खसरा नं0 303 की रकबा 11.940 हे0 किस्म माल प्रथम में वादी को 1/2 हिस्सा आराजी का
खातेदार घोषित किया जाकर इसी प्रकार आराजियात का बंटवारा किया जावें वादी का हिस्सा
अलग से निश्चित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अलग से इन्द्राज किया जावें तथा वादी के
हक में खिलाफ प्रतिवादी क्रमांक 1 आदेशात्मक एवं निषेधाज्ञा इस आशय की पारित की जावें कि
प्रतिवादी क्रमांक 1 बिना बंटवारे के व बिना हिस्सा तय किये आराजियात का रहन बेचान या
अन्य प्रकार से उसें मुतंकिल न करें तथा वादी के वैधानिक हिस्से में कब्जे काश्त में किसी प्रकार
की दखलंदाजी ना तो स्वयं करे ना अन्य से करावें। तथा वादी को प्रतिवादी क्रम 1 के खाते की
आराजियात के 1/2 हिस्सा आराजी काश्त व उपयोग करने दें।

बहस अभिभाषक वकील वादी एक तरफा सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड
का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बराना तहसील बारां जिला बारां आराजी
वर्तमान खाता संख्या 159 पुराना 155 की खसरा नं0 303 की रकबा 11.940 हे0 किस्म माल
प्रथम प्रतिवादी नं0 1 महेन्द्र प्रताप पुत्र श्री प्रहलाद जाति मीना निवासी बराना तहसील बारां के
नाम राजस्व रिकार्ड में सं0 2071–2074 में दर्ज है। ग्राम बराना खाता संख्या 159 के अनुसार
वादी व प्रतिवादी क्रमांक 2 ता 4 के पिता एवं प्रतिवादी क्रम 1 के खातेदारी मे दर्ज है। उक्त
आराजियात पुश्तैनी व पैत्रिक सम्पति है जिसकी पुष्टि जमाबन्दी सं0 2023 से 2026 से होती है,
जो बखाता छीतरलाल पुत्र श्री बेजनाथ जाति मीना वासगांव राजस्व रिकार्ड में दर्ज है प्रतिवादी
क्रमांक 1 को वाद पत्र में अंकित आराजियात अपने दादाजी श्री छीतरलाल जी से विरासतन

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

हुई थी। प्रतिवादी क्रम 1 वादी व प्रतिवादी 2 ता 4 के पिता है। वादी व प्रतिवादीगण
ुचित जनजाति के सदस्य है जिन पर हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1955 लागू नही होता
इसलिये उक्त विवादित आराजियात में प्रतिवादी क्रम 2 ता 4 का कोई हक व हिस्सा निहित
ो है। क्योकि अनुसुचित जनजाति के विवाहित लडकियों का अपने पिता की भुमि में कोई हक
हिस्सा लेने का हक व अधिकार नही है। इसलिये उक्त विवादित आराजियात में वादी व
प्रतिवादी क्रम 1 का 1/2, 1/2 हिस्सा है। वादी अपने हिस्से की भूमि का पृथक–पृथक
विभाजन कराना चाहता है। वादी का वाद स्वीकार कर विवादित आराजी का वादी एवं प्रतिवादी
क्रम–1 के मध्य 1/2, 1/2 हिस्सा यदि पक्षकारान सहमत हो तो कब्जे एवं सहमति अनुसार
अन्यथा अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी का राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार
पृथक–पृथक विभाजन किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी
वाके ग्राम बराना तहसील बारां जिला बारां आराजी वर्तमान खाता संख्या 159 पुराना 155 की
खसरा नं0 303 की रकबा 11.940 हे0 में से वादी एवं प्रतिवादी क्रम–1 का 1/2, 1/2 हिस्सा,
यदि पक्षकारान सहमत हो तो कब्जे एवं सहमति अनुसार अन्यथा अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में
से बुरी का राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार पृथक–पृथक विभाजन कर विभाजन
प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता हैं प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी
निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है, कि वादी के हिस्से एवं कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार
दखल अंदाजी नही करे। तद्नुरूप प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिमन्यु सिंह कुन्तल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

प्राथमिक डिक्री

या 31/24	88,89,53, 188 आर0 टी0 एक्ट	निर्णय दिनांक:–06/12/2024

श्री अभिमन्यु सिंह कुन्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां

ति :अभिभाषकवादी:– श्री हेमराज बैरवा एड0	अभिभाषक प्रतिवादी:– श्री चन्द्रप्रकाश मीना प्रति0क्रम 1,2,4

वाद शीर्षक

उनवान

1. कुलदीप आयु 30 वर्ष पुत्र श्री महेन्द्र प्रताप जाति मीना निवासी ग्राम बराना तहसील बांरा जिला बारां राज0 मो0 नं0 8690007622

वादीगण–

बनाम

1. महेन्द्र प्रताप आयु 60 वर्ष पुत्र श्री प्रहलाद जाति मीना निवासी ग्राम बराना तहसील बारां जिला बारां राज0
2. प्रितम कुमारी आयु 36 वर्ष पुत्री श्री महेन्द्र प्रताप पत्नी स्व0 श्री नरेन्द्र जाति मीना निवासी ग्राम बराना तहसील बारां जिला बारां राज0
3. रितू कुमारी आयु 34 वर्ष पुत्री श्री महेन्द्र प्रताप पत्नी श्री आशीष कुमार जाति मीना निवासी ग्राम बराना तहसील बारां हॉल निवासी शिव कॉलोनी हॉस्पीटल रोड बारां तहसील बारां जिला बारां राज0
4. अन्तिमा कुमारी आयु 31 वर्ष पुत्री श्री महेन्द्र प्रताप पत्नी श्री दीपक जाति मीना निवासी ग्राम बराना तहसील बारां हाल निवासी बालाकुण्ड मकान नं0 केशवपुरा चौराहा कोटा जिला कोटा राज0
5. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

प्रतिवादी गण–

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम बराना तहसील बारां जिला बारां आराजी वर्तमान खाता संख्या 159 पुराना 155 की खसरा नं0 303 की रकबा 11.940 हे0 में से वादी एवं प्रतिवादी क्रम–1 का 1/2, 1/2 हिस्सा, यदि पक्षकारान सहमत हो तो कब्जे एवं सहमति अनुसार अन्यथा अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी का राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार पृथक–पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता हैं प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है, कि वादी के हिस्से एवं कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार दखल अंदाजी नही करे।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 06/12/24 ....को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला–बारां

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		